कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरिया छ.ग.

क्रमांक/ /आर.बी.एस.के./2016 बैकुण्ठपुर, दिनांक–

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक एन.आर.एच.एम./2013/NS-974/1609 दिनांक–27.12.2013 तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/संचा.स्वा.से./2014/54 रायपुर दिनांक–17.01.2014 के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) हेतु कोरिया जिले के 05 विकास खण्डों के लिए 10 वाहन (प्रत्येक विकास खण्डों के लिए 02 वाहन बैकुण्ठपुर,सोनहत,मनेन्द्रगढ़,जनकपुर,खड़गवॉं) किराये पर लिया जाना है। वाहन प्रत्येक माह 20 दिन शासकीय प्राथमिक विद्यालय,माध्यमिक विद्यालय,आवसीय विद्यालय में अध्ययनरत बालक/ बालिकाओं तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 06 सप्ताह से 18 वर्ष के बालक/ बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार हेतु टीम लेकर जायेगी। इसके अतिरिक्त माह में एक दिन मासिक बैठक हेतु जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर तथा रेफरल किये गये बच्चों को लेकर जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर आना होगा।उक्त वाहन मय डीजल तथा अन्य खर्चे के साथ प्रति माह किराये पर लिया जाना है।

निविदा की शर्तें –

1. वाहन माह में 20 दिन शासकीय विद्यालय,आवासीय विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण करेगी।
2. वाहन मालिक को डीजल एवं अन्य मरम्मत कार्य स्वयं कराना होगा।
3. वाहन मालिक को वाहन चालक प्रदाय करना होगा, जिसका वेतन वाहन मालिक को भुगतान करना होगा।
4. भ्रमण रोस्टर अनुसार प्रत्येक दिन वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा। वाहन खराब होने की दशा में अन्य वाहन की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।
5. भ्रमण रोस्टर अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं होने की दशा में स्वीकृत दर अनुसार एक दिवस का समानुपातिक राशि की कटौति की जायेगी।
6. वाहन का प्रकार–महेन्द्रा बलेरो,टाटा सुमो,महिन्द्रा स्कार्पियो,टाटा सफारी,इनोवा,सेवरलेट इन्जाय,मारुती इको,जाइलो तथा समतुल्य वाहन।

परिशिष्ट – "अ"

नियम एवं शर्तें

01. निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु राशि 100/– नगद जमा करना होगा।जो कि किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।

02. अमानत राशि रू. 25,000/– जिला स्वास्थ्य समिति,आर.सी.एच.फलैक्सी पोल जिला–कोरिया के नाम से बैकुण्ठपुर में देय, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ, संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

03. सफल निविदाकार की अमानत राशि को सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखा जावेगा और अनुबंध की संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

04. वाहन विकास खण्ड मुख्यालय हेतु किराये पर लिया जायेगा।

05. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगी।

06. अनुबंधित वाहन जिला स्वास्थ्य समिति,जिला कोरिया,बैकुण्ठपुर के कार्यालय के आधिपत्य में रहेगा।

07. वाहन चालक का व्यय संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ्य होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा।

08. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिए जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।

09. किराए पर लिए गए वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जावेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।

10. वाहन की लाग बुक/लाग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लाग बुक/लाग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा। देयको का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात् मासिक आधार पर किया जावेगा। देयको का भुगतान, उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन उपरांत मासिक आधार पर किया जावेगा।

11. देयक मय लाग बुक/लाग कार्ड के साथ तत्काल अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक के माध्यम से किया जावेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

12. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार मुख्य चित्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला–कोरिया का होगा। विभाग द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा व वाहन मालिक द्वारा भी 15 दिन पूर्व सूचना पर अपना वाहन हटाने का विकल्प होगा।

13. शर्तो का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।

14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण मुख्य चित्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला–कोरिया द्वारा किया जावेगा तथा उसकी सीमा क्षेत्र जिला कोरिया छत्तीसगढ़ होगा।
15. निविदाकर्ता के पास स्वयं के वाहन होना अनिवार्य है। वाहन जनवरी वर्ष 2013 या उसके बाद में क्रय किया गया हो। इन वाहनों के पंजीयन संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न किया जावे।
16. न्यूनतम निर्धारित दरों पर प्रथम निविदा प्रतिभागी द्वारा समय पर वाहन एवं सुविधा नहीं प्रदाय किये जाने की स्थिति में द्वितीय निविदा प्रतिभागी से समस्त सेवा लिये जाने का अधिकार कार्यालय का होगा।
17. समस्त प्रदायित वाहनों का पंजीयन केवल टैक्सी परमिट (Commercial Taxi) का होना आवयश्क होगा।
18. कार्यालय द्वारा मांग की गई वाहन का टैक्सी परमिट (Commercial Taxi) पंजीयन मान्य होगा। प्राइवेट पंजीयन की दशा में परिवहन विभाग तथा शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार Taxi permit Charges की राशि को काटकर ही भुगतान किया जावेगा।
19. एन.एच.एम.(RBSK) में बजट होने की दशा में चाही गई सेवा एवं प्रदायित सेवा के अनुरूप संतुष्टि की दशा में सेवा अवधी अनुबंध अगामी शर्तो हेतु आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
20. समय समय पर पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन की दरों में परिवर्तन की दशा में अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. सर्विस टैक्स एवं समस्त करों की राशि वित्तीय निविदा (Financial Bid) में शामिल कर ही मान्य किया जावेगा। इस बाबत् सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
22. चयन प्रकिया L1 प्रकृति आधार पर की जावेगी।
23. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति/फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में व्यक्ति/फर्म/संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र (Black Listed) घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
24. अनुबंध नवीनीकरण की दशा में EMD राशि को आगामी वर्षो हेतु मान्य किया जावेगा।
25. वाहन चालक द्वारा तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सूचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।
26. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।

27. परिशिष्ट – (ब एवं स) तथा परिशिष्ट – (द) दो अलग अलग बंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजो के साथ जमा किया जावे।

28. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।

29. प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अलग–अलग फार्म जमा करना होगा।

30. उक्त निविदा की वैधता 31 मार्च 2017 तक होगी।

31. कराये पर लिये जाने वाले वाहन का उपयोग अन्य विकास खण्डों में भी किया जावेगा तथा वाहन माह में एक दिन जिला स्तर की बैठक में आने जाने हेतु उपयोग किया जावेगा।

32. किराये पर लिये गये वाहनों में शासन के निर्देशानुसार प्रचार–प्रसार का स्टीकर चस्पा किया जावेगा।

33. निविदा फार्म प्राप्त करने एवं डाउनलोड किये जाने की तिथि **दिनांक 27.06.16 तक** तथा जमा करने की अंतिम तिथि 27.06.16 समय सायं 4.00 बजे तक एवं **खोले जाने की तिथि 27.06.16** समय सायं 5.30 बजे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–कोरिया छ.ग.

परिशिष्ट - ब
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत
वाहन किराये पर लिये जाने हेतु तकनीकी निविदा
(एक अलग सीलबंद लिफाफे में संलग्न कर)

फर्म द्वारा विवरण निम्नानुसार दिया जावे –

क्र.	विवरण	हॉं/नहीं में
1	व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम	
2	व्यक्ति/फर्म/कंपनी का पता	
3	मोबाइल नंबर	
4	एस.टी.डी. कोड के साथ फोन नंबर	
5	ईमेल पता	
6	पैन/टैन नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	[ ] हॉं [ ] नहीं पैन नंबर: टैन नंबर:
7	पंजीकरण क्रमांक/वर्ष (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	[ ] हॉं [ ] नहीं
8	सेवाकर पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	[ ] हॉं [ ] नहीं
9	कर विभाग से प्राप्त क्लीयरेंस सर्टिफिकेट	[ ] हॉं [ ] नहीं
10	संस्था में कार्यरत वाहन चालक की संख्या	
11	अमानत राशि (संलग्न)	Rs.25000/- [ ] हॉं [ ] नहीं
12	संस्था का नाम जहां वाहन प्रदाय की गई हो। (विभिन्न वाहनों के विस्तार के साथ) (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।)	

क्रमांक	शास. संस्था/संगठन का नाम	कब से	वाहन का विवरण
1.			

		2.			
		3.			
14	वाहन का विवरण (जनवरी वर्ष 2013 से पुराने वाहन स्वीकार नहीं किया जावेगा)	क	वाहन के प्रकार		वाहन निर्माण का वर्ष
		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
15	व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता (निविदा संबंधी)	क	नाम	पदनाम	पूरा पता / मोबाइल नंबर
		1.			
		2.			
16	घोषणा पत्र राशि 100/- के स्टॉम्प पेपर में जमा।	हॉ		नहीं	
17	**विकास खण्ड का नाम जहां वाहन लगाया जाना है। (बैकुण्ठपुर,सोनहत,खडगवॉ,मनेन्द्रगढ़, जनकपुर)**				

मालिक / फर्म का

नाम ....

पता ....

मोबा. ....

परिशिष्ट – स
घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्तिविशेष के द्वारा मुकदमेबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।
2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम द्वारा अपात्र (Black listed) सूचीबद्ध नहीं है।
3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

वाहन मालिक/फर्म का
नाम ....

पता ....

मोबा. ....

(नोट – उपरोक्त घोषणा पत्र मे दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि 100/– के स्टॉम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)

परिशिष्ट – ''द''

जिला कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निजी वाहनों का किराया दर निर्धारण (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

(प्रारुप 1 –मासिक दर)

क्र.	वाहन का विवरण	किराया मासिक (20 दिन के भ्रमण हेतु सभी करों को समावेश करते हुये)	अतिरिक्त उपयोग पर किराया प्रतिदिन (POL देय होगा)
1	जाइलो,स्कार्पियो,इनोवा,सफारी,,टवेरा, बोलेरो,,टाटा सूमो एवं समतुल्य वाहन		

वाहन मालिक / फर्म का

नाम ....

पता ....

मोबा. ....